प्रेस-नोट

भिवानी, 25 अगस्त, 2022 : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रो० (डॉ०) जगबीर सिंह ने यहां बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को हिन्दी विषय के साथ नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि आगामी मार्च-2023 की परीक्षाओं में नैतिक शिक्षा की बोर्ड द्वारा निर्धारित/मुद्रित पुस्तकों में से हिन्दी विषय की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएगें। नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित दिए गए प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न परीक्षार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हल किए जाने है।

उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में सभी धर्मों की ज्ञानवर्धक बातों, सार्वभौमिक जीवन मूल्यों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है जिनमें श्रीमद्भगवद् गीता का ज्ञान, भगवान बुद्ध व भगवान महावीर, ईसा मसीह का ज्ञान, योग, प्राणायाम की विवेचना तथा महत्व, प्रेरक दोहे, राष्ट्रभक्ति, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि विशेष हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक शिक्षा की पुस्तकों के अध्यायों में स्वास्थ्य और योग, भारतरत्न मदन मोहन मालवीय, बर्डमैन ऑफ इण्डिया सालिम अली, वीर सावरकर, अशफाक उल्ला खॉ, डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, हवलदार अब्दुल हमीद, दुर्गा भाभी, विज्ञानाचार्य डॉ० जगदीश चन्द्र बसु, लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय में इतिहास विषय की नई पुस्तकों का मुद्रण बोर्ड द्वारा पहले ही करवाया जा चुका है। सामाजिक अध्ययन विषय में 04 विषय शामिल होते है जैसे- इतिहास, भूगोल, राजनिति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। बोर्ड परीक्षाओं सहित कक्षा 9वीं व 10वीं में इतिहास की बोर्ड द्वारा मुद्रित नई पुस्तको से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास की नई पुस्तकें बोर्ड के क्षेत्रीय पाठ्य पुस्तक बिक्री सेवा केंद्रो अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद एवं रोहतक पर बिक्री हेतु पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। इसकी सूचना सभी विद्यालयों को बोर्ड द्वारा पहले ही दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इतिहास की अंग्रेजी माध्यम की नई पुस्तकों का संस्करण शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नवीन इतिहास की पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए एक अनुपम भेंट होंगी।

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही थी, जोकि उचित नहीं है। भविष्य में बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों में से ही छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाए। औचक निरीक्षण के दौरान यदि ऐसा नहीं पाया गया तो सम्बद्धता नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा राजकीय विद्यालयों के मामले में शिक्षा विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इतिहास की नई पुस्तकों में पुरातन भारतीय सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, देश-भक्तों, स्वाधीनता संग्राम व उसके ज्ञात-अज्ञात वीरों, विशेष तौर पर हरियाणा प्रांत के वीरों, शहीदों तथा महान पुरूषों का विशेष उल्लेख किया गया है। सन 1947 के बाद के भारत की प्रमुख घटनाओं को सम्पूर्ण, समग्र व व्यापक रूप में सुन्दर, चित्रों सहित बिल्कुल नए कलेवर के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के निर्देशों को इतिहास की इन पुस्तकों के माध्यम से सार्थक करने का प्रयत्न

किया गया है। ये पाठ्यपुस्तकें अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ छात्रों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास में प्रभावशाली मार्गदर्शन करेंगी।

उन्होंने आगे यह भी बताया कि इतिहास की नई पुस्तकों में विदेशी आक्रमणकारियों/मुगल सम्राटों के प्रतिरोध की समुचित जानकारी दी गई है। सिक्ख गुरू परम्परा उनके संघर्ष व बलिदान का विस्तृत यथोचित विवरण दिया गया है। इन पुस्तको में राष्ट्रीय भक्ति आन्दोलन का वर्णन किया गया है, जिसमें शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, रविदास, रसखान, गुरू नानक देव, दादू दयाल, धन्ना भक्त, मीरा बाई, नामदेव, तुकाराम की विशेष रूप से जानकारी दी गई है।

प्रो.(डॉ.) सिंह ने बताया कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) मार्च-2022 की परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के एसएलसी/प्रमाण-पत्र बोगस पाए जाने के कारण परिणाम आरएलई(RLE) रहा है, जिनकी संख्या 584 है, जिसमें सैकेण्डरी के 112 विद्यालयों के 512 व सीनियर सैकेण्डरी के 39 विद्यालयों के 72 परीक्षार्थी शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड निदेशक मण्डल द्वारा परीक्षार्थियों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इन परीक्षार्थियों को हरियाणा मुक्त विद्यालय की परीक्षा में परिवर्तित करते हुए बनता परिणाम घोषित कर दिया जाए। जिन विद्यालयों में अध्ययनरत परीक्षार्थियों की एसएलसी/प्रमाण-पत्र बोगस पाए गए है उनके विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाया जा चुका है। सरकारी विद्यालयों के मामले में इनके खिलाफ कार्रवाई हेतु निदेशालय शिक्षा विभाग पंचकूला को लिखा जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि जिन परीक्षार्थियों का परिणाम आरएलई (RLE) है, ऐसे परीक्षार्थी ओपन स्कूल परीक्षा की पात्रता अनुसार बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोफार्मा भरकर 1000/-रूपये शुल्क सहित अपनी सहमति बोर्ड कार्यालय की मुक्त विद्यालय शाखा में दस्ती तौर पर जमा करवाएं, ताकि उनका बनता परिणाम घोषित किया जा सके।

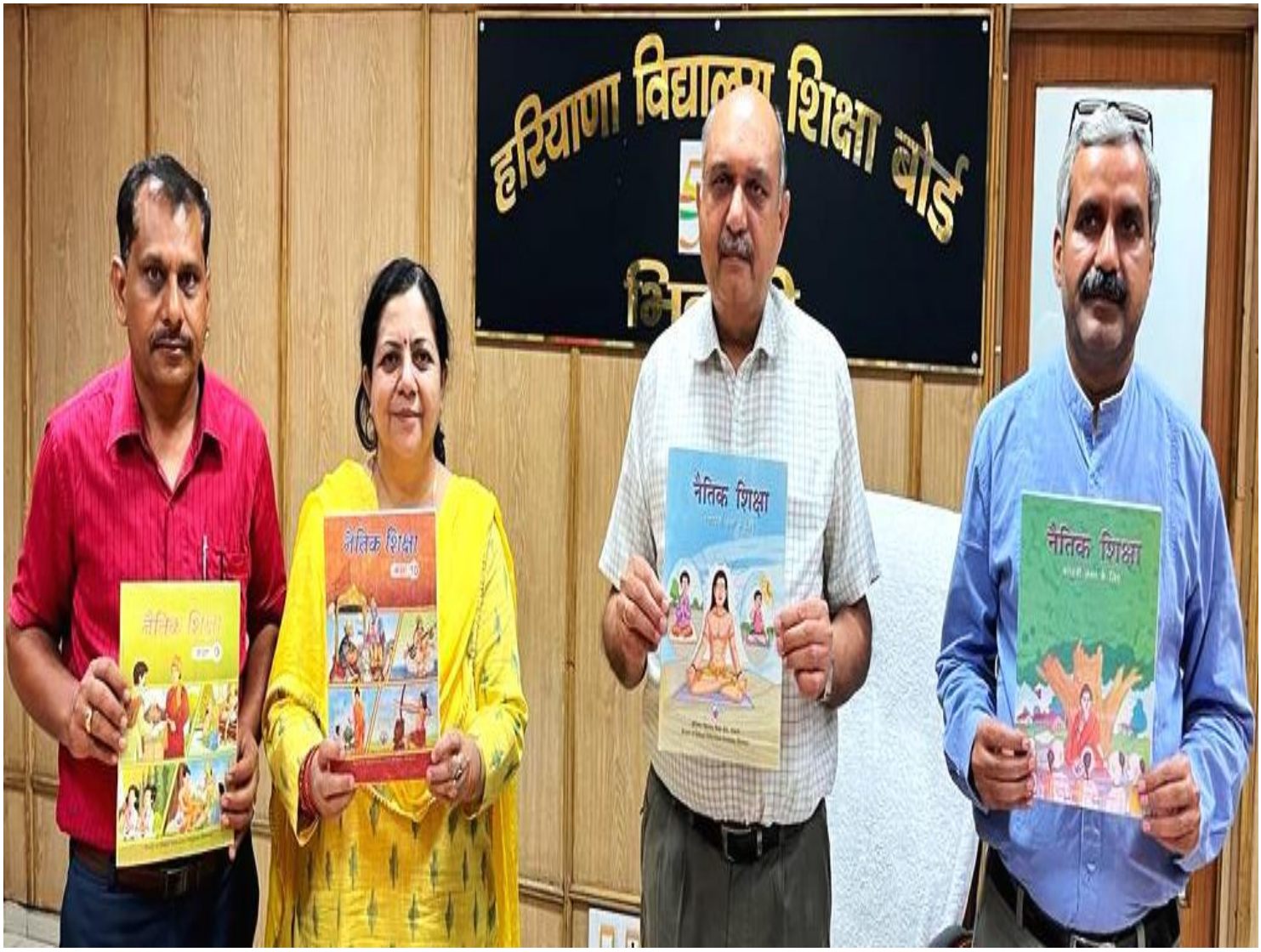
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
नैतिक शिक्षा
नैतिक शिक्षा
नैतिक शिक्षा
नैतिक शिक्षा